

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS)

New Delhi, Dated:-/9.09.2023

**General Managers,
All Indian Railways
Including PUs, RDSO and NAIR.**

Sub:- Provision of OPD consultation & related investigation for RELHS beneficiaries aged 75 years & above from specialists of Private Hospitals empanelled by Railway – As a PILOT PROJECT FOR ONE YEAR FROM 01.11.2023 TO 31.10.2024.

The matter of provision of direct Outpatient Department (OPD) consultation and related investigation from specialists of private hospitals empanelled by Railway for RELHS beneficiaries aged 75 years and above has been drawing attention of Ministry of Railway for some time. After consideration of the issue, Railway Board has decided as under:-

(i) RELHS beneficiaries aged 75 years and above may be permitted to seek direct OPD consultation from specialists of Private Hospitals empanelled by Railway, without referral from Railway Hospital/ Health Unit under which beneficiary is registered.

(ii) If any CGHS listed investigation/procedures is advised and is required to be undertaken *in emergency*, no other authorization will be required, and the same may be undertaken from empanelled hospital at CGHS rates for that city/or as per MoU with Railways in cashless procedure. Bills along with copy of UMID card, copy of prescription/ Reports and declaration form (**copy enclosed**) signed by the beneficiary and duly endorsed by the competent authority of the empanelled hospital will be sent to Railway under which the hospital is empanelled for payment.

(iii) In non-emergency cases, approval of competent authority from Railways will be required for undertaking (a) CGHS non-listed investigations/ planned procedures; and (b) those CGHS listed investigations, which cost above Rs. 10000/-, whenever advised by specialist of empanelled hospitals.

(iv) Medicines prescribed by a specialist doctor of private railway empanelled hospitals will be issued by concerned Railway hospitals/Health Units on authorization of available railway doctor.

(v) Private Hospitals empanelled under Railways shall provide above facilities on cashless basis at CGHS rates to Railway beneficiaries aged more than 75 years. The hospitals shall submit the bills along with valid UMID card and declaration form signed by the beneficiary who has availed the facilities, duly endorsed by the competent authority of the empanelled hospital.

.....2/-

(vi) This facility will be available for only those aged 75 years & above RELHS beneficiaries who are eligible for OPD consultation at Railway Hospitals/ Health Units. **This facility is not available to beneficiaries having UMID card with FMA.**

(vii) These guidelines will not supercede the instruction issued vide Board's letter No. 2018/TransCell/Health/CGHS (eOffice No.327783) dated 16.06.2021 which will remain inforce for emergency cases/IPD caeses as speicified therein.

(viii) This is a Pilot Project only for one year i.e. 01.11.2023 to 31.10.2024. **Railways will ensure the period of Pilot Project without fail.**

(ix) To ensure that UMID cards are not misused, proper accountal of expenditure incurred on the present scheme may be maintained by Railway/ PU.

(x) Empanelled hospitals need to be provided access to HMIS portal so that data is captured efficiently and can be retrieved whenever required.


(Dr. A. K. Malhotra)

Principal Executive Director/Health
Railway Board.

No. 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS)

New Delhi, Dated:- .09.2023

Copy forwarded to:-

1. PCMDs/ PCMOs, All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.
2. PFAs/ All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.
3. PCPOs, All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.


(Dr. A. K. Malhotra)


Principal Executive Director/Health
Railway Board.

No. 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS)

New Delhi, Dated:- .09.2023

Copy forwarded to:-

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.
2. Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.


For Member Finance /Railway Board


.....3/-

No. 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS)

New Delhi, Dated:-19.09.2023

Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.


For PED(IR), Railway Board

Copy to:-

F(E) Special Branch & ERB-III Branch of Railway Board, New Delhi.

DECLARATION BY RAILWAY BENEFICIARY AGED 75 YEARS AND ABOVE
REGARDING FACILITIES AVAILED AT RAILWAY EMPANELLED HOSPITAL

I, _____ (name), the undersigned, possessing the UMID
Card No. _____ has availed _____ (OPD /
Investigation / Procedure) on _____ (date) at _____
(name of the hospital).

Signature of Competent
Authority of Empanelled
Hospital _____

Name of the Authority _____

Designation _____

Name of the Hospital _____

Mobile No. _____

Email id _____

Signature of Rly
Beneficiary _____

Name of the patient _____

UMID Card No. _____

Mobile No. _____

Email ID _____

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ RAILWAY BOARD

सं. 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनलड(सीजीएचएस)

नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2023

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें

उत्पादन इकाइयां, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित ।

विषय: रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श और संबंधित जांच की व्यवस्था – 01.11.2023 से 31.10.2024 तक एक वर्ष के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में।

कुछ समय से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए रेलवे द्वारा सीधे पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श और संबंधित जांच की व्यवस्था का मामला रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। इस मुद्दे पर विचार करने के बाद, रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(i) 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई से, जिसके तहत लाभार्थी पंजीकृत है, रेफरल के बिना सीधे रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से ओपीडी परामर्श लेने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) यदि किसी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सूचीबद्ध जांच/चिकित्सा-पद्धति के लिए कहा जाता है और वह आपातकाल में किए जाने की आवश्यकता है तो किसी अन्य प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी, और वह कैशलेस प्रक्रिया में उस शहर के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दरों पर या रेलवे के साथ समझौता-ज्ञापन के अनुसार पैनलबद्ध अस्पताल से करवाई जा सकती है। लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित और पैनलबद्ध अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित यूएमआईडी कार्ड की प्रति, दवा के पर्चे/ रिपोर्ट की प्रति और घोषणा-पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) के साथ बिल उस रेलवे को भेजा जाएगा जिसके तहत वह अस्पताल भुगतान हेतु पैनलबद्ध है।

(iii) गैर-आपातकाल मामलों में, (क) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना गैर सूचीबद्ध जांच/नियोजित चिकित्सा-पद्धतियाँ; और (ख) उन केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सूचीबद्ध जांचें करवाने के लिए, जिनकी लागत 10000/- रु. से अधिक है, जब भी पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञ द्वारा कही जाएं, तब रेल से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(iv) निजी रेल पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निर्देशित दवाएं उपलब्ध रेल डॉक्टर के प्राधिकार पर संबंधित रेल अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा जारी की जाएंगी।

- 2 -

(v) रेल के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पताल 75 वर्ष से अधिक आयु के रेल लाभार्थियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दरों पर कैशलेस आधार पर उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अस्पताल वैध यूएमआईडी कार्ड और लाभार्थी द्वारा, जिन्होंने सुविधाओं का लाभ उठाया है, हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र के साथ पैनलबद्ध अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित बिल जमा करवाएंगे।

(vi) यह सुविधा केवल 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए है जो रेल अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों में ओपीडी परामर्श के लिए पात्र हैं। यह सुविधा एफएमए के साथ यूएमआईडी कार्ड रखने वाले लाभार्थियों के लिए नहीं है।

(vii) ये दिशानिर्देश बोर्ड के दिनांक 16.06.2021 के पत्र सं. 2018/ट्रांससेल/हेल्थ/सीजीएचएस (ईऑफिस नं. 327783) के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों का अधिक्रमण नहीं करेंगे, जो कि आपातकालीन मामलों/आईपीडी मामलों के लिए लागू रहेंगे, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया है।

(viii) यह प्रायोगिक परियोजना केवल एक वर्ष अर्थात् 01.11.2023 से 31.10.2024 के लिए है। रेलें प्रायोगिक परियोजना की अवधि निरपवाद रूप से सुनिश्चित करेंगी।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूएमआईडी कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया जाए, रेलवे/उत्पादन इकाइयों द्वारा वर्तमान योजना पर उपगत व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा जाए।

(x) पैनलबद्ध अस्पतालों को एचएमआईएस की एक्सेस उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि डेटा को कुशलता से कैप्चर किया जा सके और जब भी आवश्यकता हो, पुनर्प्राप्त किया जा सके।

अंकन

(डॉ. ए. के. मल्होत्रा)

प्रधान कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड।

सं. 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनलड(सीजीएचएस)

नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2023

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के पीसीएमडी/पीसीएमओ।
2. उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान वित्त सलाहकार।
3. उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी।

अंकन

(डॉ. ए. के. मल्होत्रा)

प्रधान कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड।

31-

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. उत्पादन इकाइयों अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

19.9.2023
कृते सदस्य (वित्त) रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
- जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
- विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- महासचिव, एफआरओए और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए और 268, रेलवे बोर्ड।
- जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- महासचिव, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।

नवीन
कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध) रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

एफ (ई) रेलवे बोर्ड की विशेष शाखा और ईआरबी-III शाखा, नई दिल्ली।

रेलवे के पैनलबद्ध अस्पताल में प्रयोग की गई सुविधाओं के संबंध में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के रेल लाभार्थी द्वारा घोषणा

मैंने, _____ (नाम), अधोहस्ताक्षरी, यूएमआईडी कार्ड नं. _____ के धारक ने _____ (अस्पताल का नाम) में (ओपीडी/जांच/चिकित्सा-पद्धति) _____ (दिनांक) को, का लाभ उठाया है

पैनलबद्ध अस्पताल के सक्षम
प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकारी का नाम

पदनाम

अस्पताल का नाम

मोबाइल नं.:

ईमेल आईडी

रेलव लाभार्थी के
हस्ताक्षर

रोगी का नाम

यूएमआईडी कार्ड नं.

मोबाइल नं.:

ईमेल आईडी
